# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

**अपील संख्या 12 / 51 / 2022**

**कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022 / 217**

**अपीलार्थी** — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

कर्नल सुनील दत्त (से.नि.)
नि0 सी–47, अंसल टाउन, 200फीट रोड,
सदर थाना के पास, अलवर–301001

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

**प्रवेश तिथि :: 02.05.2022**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांक: 07.06.2022**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 17.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर जारी लाईसेंस रिन्यूअल / नये लाईसेंस इश्यू (दिनांकः 01.01.2017 से दिनांकः 10.02.2022 तक) संबंधी हथियार लाईसेंस धारी व्यक्तियों के नाम, पता व दिनांक संबंधी जानकारी / सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपील के अनुसरण में संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए पत्र सं. 1103 दिनांकः 05.05.22 मय प्रेषित सूचना प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब / सूचना पर गौर / मनन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 17.02.2022 एवं हस्तगत अपील दिनांकः 29.04.2022 के माध्यम से हथियार लाईसेंसधारी व्यक्तियों के नाम, पता व अवधि संबंधी जानकारी चाही गई है जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित होने के कारण विस्तृत जनहित से जुड़ी हुई सूचना नहीं है, वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(e), 8(1)(g), 8(1)(j) के तहत पृकटन से छूट प्राप्त है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 17.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील इस न्यायालय को पेश होने उपरान्त सूचित किया है जो उचित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट (प्र.अ. न्याय प्रकोष्ठ) अलवर की ओर से सूचना आवेदन दिनांकः 17.02.2022 के क्रम में जारी यू.ओ. नोट सं. 43 दिनांकः 18.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 785 दिनांकः 02.05.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य, मूल भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जवाब काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित किया जावे।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय / प्रदत्त सूचना अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ **प्रभारी अधिकारी न्याय कलक्ट्रेट, अलवर** को भी पालनार्थ प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 07.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
**अपीलीय अधिकारी एवं**
**जिला कलक्टर, अलवर (राज.)**